एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बनाम

देवास मल्टीमीडिया प्राईवेट लिमिटेड

(मध्यस्थता याचिका 20/2011)

10 मई 2013

(अल्तमास कबीर, सीजेआई और सुरिंदर सिंह निजार, जे)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 धारा 11, 13 व 34 विवाद के पक्षकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल आई.सी.सी. के क्षेत्राधिकार का एक पक्षकार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति -दुसरे पक्षकार का धारा 11(6) के संदर्भ मे अधिकार- जहां समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति से असंतुष्ट या व्यथित पक्षकार धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार उपचार प्राप्त करने का अधिकार रखता है लेकिन अधिनियम की धारा 11(6) के प्रावधानों के माध्यम से नही- विवाद के पक्षकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आई.सी.सी.सी.) के क्षेत्राधिकार का एक पक्षकार के आवेदन पर मध्यस्थ की नियुक्ति दुसरे पक्षकार को धारा 11 (6) के संदर्भ में अधिकार जहां समझाने के सदंर्भ मे मध्यस्थता खण्ड़ (अ) पक्षों में से एक पक्ष द्वारा प्रयोग मे लिया चुका है तब धारा 11 (6) के प्रावधानो का पुनः प्रयोग में

लागू नही किया जा सकता है और दूसरा पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति से असंतुष्ट या व्यस्थित है तो धारा 13 मे उपचार प्राप्त कर सकता है।

वर्तमान मध्यस्थता याचिका में जिस प्रश्न पर विचार किया जाना है वह यह है कि जब किसी विवाद के पक्षकार में किसी ने इंटर नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्षेत्राधिकार को प्रभावी करवा मध्यस्थ नियुक्त करवाया है वहां क्या दूसरा पक्षकार धारा 11(6) के अधीन अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:-

1. धारा 11 के प्रावधान बहुत स्पष्ट है कि न परिस्थितियों में किसी विवाद के पक्षकार मध्यस्थता समझौते से शास्ति है, में से कोई पक्षकार किसी मध्यस्थ की नियुक्ति करने के दूसरे पक्षकार से ऐसा करने के किसी अनुरोध पर तीस दिन के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में असफल रहता है या दो मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से तीस दिन भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में असफल रहते हैं तो किसी पक्षकार के अनुरोध पर मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था मध्यस्थ नियुक्त करेगा। [469-D; 471-B, C]

2.1 वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-देवास, याचिकाकर्ता के लिखे पत्र का जवाब दिए बिना दर्ज किए गए मध्यस्थता समझौते के अनुच्छेद 20

की शर्तें पार्टियों के बीच, एकतरफा संबोधित किया गया आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मध्यस्थता के लिए अनुरोध के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता समझौता किया और अपना नामित मध्यस्थ भी नियुक्त किया। पर दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने अपना नामांकित व्यक्ति नियुक्त किया मध्यस्थ इस चेतावनी के साथ कि मध्यस्थता होगी 1996 अधिनियम द्वारा शासित और देवास को बुलाया गया उक्त प्रावधानों के तहत अपने नामांकित मध्यस्थ को नियुक्त करें।चूँकि देवास ने याचिकाकर्ता के दिनांकित पत्र का उत्तर नहीं दिया 30 जुलाई, 2011 को याचिकाकर्ता ने के तहत आवेदन दायर किया 1996 अधिनियम की धारा 11(6)। [पैरा 29] [471-डी-ई]

2.2 जहां किसी एक पक्षकार द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही को क्रियाशील कर किसी एक मध्यस्थ को नामित कर दिया हो तब दूसरा पक्षकार ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति की जानकारी हो जाने के बाद दुबारा मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया को लागू नहीं कर सकता है, दुबारा मध्यस्थ नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया जाना एक विसंगति को जन्म देगा। मध्यस्थ की नियुक्ति को वह स्वतंत्र कार्यवाही के माध्यम से धारा 13 के तहत चुनौती देने का हकदार है किंतु वह अधिनियम की धारा 11 (6) में कार्यवाही के माध्यम से ऐसा नंहीं कर सकता है। अधिनियम की धारा 11 (6) की कार्यवाही में मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थ करार के अभ्यास में पहले से

नियुक्त मध्यस्थ को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। [पैरा(31) 472 बी-ई]

2.3 अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 6 काफी स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि जहां पक्षकार उनके द्वारा सहमत प्रक्रिया के संदर्भ में कार्य करने में विफल रहते हैं वहां उपधारा 6 के प्रावधानों को किसी एक पक्षकार द्वारा लागू करवाया जा सकता है। जहां करार के संदर्भ में एक पक्षकार द्वारा आई.सी.सी. नियमों के तहत मध्यस्थता खंड को पहले से ही क्रियाशील किया जा चुका हो वहां उपधारा 6 के प्रावधानों को फिर से लागू नहीं किया जा सकता है। यदि मध्यस्थ की नियुक्ति के संदर्भ में दूसरा पक्ष असंतुंष्ट या व्यथित है तो उसका उपाय/उपचार धारा 13 अथवा धारा 34 के प्रावधानों के तहत प्राप्त कर सकता है। [पैरा(32) 473- ए सी]

2.4. कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि एक मध्यस्थ कहां है पहले ही नियुक्त कर दिया गया था और इसकी सूचना भी दे दी गई थी दूसरे पक्ष को सूचित कर दिया गया है, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक अलग आवेदन विचारणीय नहीं है। एक बार शक्ति का प्रयोग मध्यस्थता के तहत किया गया है सहमति, एक बार फिर से संदर्भित करने की कोई शक्ति नहीं बची है 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थता के लिए समान विवाद अधिनियम, जब तक कि कार्यवाही बंद करने का आदेश न हो बाद में अलग रख दिया गया। जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण है पक्षों के बीच विवादों

को पहले ही जब्त कर लिया गया है मध्यस्थता समझौता, एक अन्य मध्यस्थ का गठन उन्हीं मुद्दों के संबंध में ट्रिब्यूनल जो हैं के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष पहले से ही लंबित है निर्णय, अधिकार क्षेत्र के बिना होगा। [पैरा 33] [473-डी-एफ]

2.5. अनुच्छेद 20 की भाषा को देखते हुए मध्यस्थता समझौता जो मध्यस्थता प्रदान करता है नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी और इंटरनेशनल चैंबर की प्रक्रियाएं वाणिज्य या UNCITRAL, देवास को आह्वान करने का अधिकार था के संचालन के लिए आईसीसी के मध्यस्थता के नियम मध्यस्थता कार्यवाही. समझौते का अनुच्छेद 19 बशर्ते कि पार्टियों के अधिकार और जिम्मेदारियाँ उसके अधीन होगा और उसमें समझा जाएगा भारत के कानून के अनुसार. इसलिए, एक है लागू होने वाले कानून के बीच स्पष्ट अंतर समझौते के शासी कानून और कानून के रूप में मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करना था। एक बार मध्यस्थता के आईसीसी नियमों के प्रावधान थे देवास द्वारा आह्वान किया गया, उसके तहत कार्यवाही शुरू की गई के तहत कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता 1996 अधिनियम की धारा 11. आईसीसी का आह्वान निःसंदेह, नियमों को चुनौती दी जा सकती है उचित कार्यवाही लेकिन आवेदन के माध्यम से नहीं 1996 अधिनियम की धारा 11(6) के तहत। जहां पार्टियों इस बात पर सहमति हुई थी कि मध्यस्थता की प्रक्रिया होगी आईसीसी

नियमों द्वारा शासित होगा, वही होगा इसमें एक मध्यस्थ की नियुक्ति आवश्यक रूप से शामिल है मध्यस्थता समझौते और के संदर्भ में न्यायाधिकरण कहा नियम. ए के तहत 2011 की मध्यस्थता याचिका संख्या 20 की नियुक्ति हेतु अधिनियम 1996 की धारा 11(6). इसलिए, मध्यस्थ को विफल होना चाहिए और खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होगा याचिकाकर्ता को दूसरे का सहारा लेने से न रोकें उचित राहत के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधान। [पैरा 34] [473-जी-एच; 474-ए-डी]

सोमदत्त बिल्डर्स प्रा. लि. बनाम पंजाब राज्य 2006(3) आर.ए.जे. (पी एंड एच)

सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लि. बनाम ओ.एन.जी.सी. व अन्य (1998) 1 एस.सी.सी 305

नेशनल थर्मला पावर कोर्पोरशन बनाम सिंगर कंपनी (1992) एस.सी.सी. 551

एस.बी.पी. व कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग व अन्य (2005) 8 एस.सी.सी

गैस ओथोरिटी ऑफ इंडिया लि. बनाम केटी कंस्ट्रक्शन लि. व अन्य (2007)

सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी बनाम केरला सरकार व ए.एन.आर. (1989) 2 एस.सी.सी.

मेक्डेर्मोट इंटनरेशनल इंकोर्पोरेशन बनाम बर्न स्अेंडर्ड कंपनी लि. व अन्य (2006)

गेसेल्सशाफ्ट फर बायोटेक्नोलाजिक फार्चन जी.एम.बी.एच. बनाम काप्रान लेबोरेट्रीज लि. व ए.एन.आर. (2004) 13 एस.सी.सी. 630

संदर्भ- विधि प्रकरण

1997 (6) पुरक एस.सी.आर., 186 संदर्भित किया गया, पेरा 13

1992 (3) एस.सी.आर., 106 संदर्भित किया गया, पेरा 15

2005 (4) पुरक एस.सी.आर., 688 संदर्भित किया गया, पेरा 16

2007 (6) एस.सी.आर. 439, संदर्भित किया गया, पेरा 21

1989 (1) एस.सी.आर. 665, संदर्भित किया गया, पेरा 22

2006 (2) पुरक एस.सी.आर., 409 संदर्भित किया गया, पेरा 32

(2004) 13 एस.सी.सी. 630 संदर्भित किया गया, पेरा 31

2006 (3) आर.ए.जे. 144 (पी.एंड एच), पेरा 33

श्री आर.एफ. नरीमन, एस.जी.आई. बिंदु सक्सेना, शेलेन्द्र स्वरूप, रितीन राज, अपराजिता स्वरूप, के.के. पात्रा, नेहा खट्टर याचिकाकर्ता की ओर से।

चिकु मुखोपाध्याय, मनु नायर, उमर अहमद, संजय कुमार, अनीष माहेश्वरी प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का यह निर्णय अल्तमास कबीर, सी.जे.आई. द्वारा दिया गया।

01. मध्यस्थ व सुलह अधिनियम 1996 जिसे आगे बाद में अधिनियम 1996 के रूप में संदर्भित किया गया है की धारा 11 (6) के तहत मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों के दायरे पर महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म दिया है, प्रश्न के महत्व को रखते हुए मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा गया है।

02. याचिका कर्ता मेसर्स एट्रिक्स कोर्पोरशन लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगणित सरकारी कंपनी है और भारतीय अंतरीक्ष अनुसंधान संगठन (ईसरो) के उत्पादों और सेवाओं के विपणन और बिक्री में लगी हुई है, जिसने प्रतिवादी देवास मल्टी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड जिसे देवास संदर्भित किया के साथ एक समझौता किया है। समझौते को अनुच्छेद 19 याचिकाकर्ता का कुछ आकस्मिकताओं में

समझौते को समाप्त करने का अधिकार देता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि समझौता और उसके तहत पार्टियों के अधिकार और जिम्मेदारियां भारत के कानून के अधीन होती है और उसके अनुसार समझी जाएगी दूसरे शब्दों में घरेलू कानून समझौते का नियामक कानून होगा।

03. समझौते का अनुच्छेद 20 विशेष रूप से मध्यस्थता से संबंधित है और यह प्रावधान करता है कि समझौते के किसी खंड या प्रावधान या उसकी व्याख्या, या किसी खाते, देनदारियां या मूल्यांकन के संबंध में पार्टियों के बीव विवाद या मतभेद की स्थिति में, या किसी पक्ष के अधिकारों कृत्यों व चूक से संबंधित विवादों को 3 सप्ताह के भीतर हल के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रबंधन को भेजा जाएगा और ऐसा (हल) न होने पर मामले को तीन मध्यस्थों वाले एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया कि मध्यस्थिता की सीट भारत में नई दिल्ली होगी और मध्यस्थिता कार्यवाही इन्टरनेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स (आई.सी.सी.) या यू.एन.पी.आई.टी.आर.एल. के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार आयोजित की जाएगी।

04. याचिकाकर्ता कंपनी ने दिनांक 25.02.2011 को अनुच्छेद 7 (सी) व 11 (वी) के प्रावधानों के संदर्भ में सरकार के निर्देशो को ध्यान में रखते हुए समझौते को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया। प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 28.02.2021 द्वारा इस समझौते की समाप्ति पर आपत्ति

जताई। 15.04.2011 को याचिकाकर्ता कंपनी ने प्रतिवादी का अग्रिम आरक्षण शुल्क वापस करने का 58.37 करोड रूपये का देवास कंपनी को चेक भेजा, हालांकि देवास कंपनी ने 18.04.2011 को इसे यह कहते हुए वापस लौटा दिया कि समझौता अभी भी कायम है।

05. याचिकाकर्ता ने अनुुच्छेद 20 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी कंपनी को दिनांक 20 जून 2011 को अपने वरिष्ठ अधिकारी को नामित कर मामले में हल निकालने का प्रयास करने के लिखा देवास ने पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता की समझौते के अनुच्छेद 20 (9) की प्रक्रिया को समाप्त किये बिना ही एक तरफ रूप से याचिका कर्ता को सूचना दिए बिना ही आई.सी.सी. के नियमों के अधीन को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन किया जाकर समाधान के लिए 29 जून 2011 को अनुरोध किया और श्री वी.वी. विदार, क्वीनस काउन्सल को मध्यस्थ के रूप में नामित किया।

06. याचिकाकर्ता के अनुसार उसे 5 जुलाई 2011 को ही पता चला कि देवास (प्रत्यर्थी) ने आई.सी.सी. से मध्यस्थता को अग्रसरित करने के लिए संपर्क किया है और श्री वी.वी. वीदार को मध्यस्थ नामित किया है जब प्रत्यर्थी का इस आशय के अनुरोध के पत्र की प्रति प्राप्त हुई हुई जिसमें याचिकाकर्ता को मध्यस्थ नामित करने का अनुरोध किया गया था।

07. याचिकाकर्ता ने उसके मध्यस्थ को नामित कराने के बजाय दिनांक 11 जुलाई 2011 के पत्र से देवास से एक बार फिर अनुरोध किया

गया कि समझौते के संदर्भ में प्रबंधन दल की बैठक बुलायी जावे, इस अनुरोध पर वरिष्ठ प्रबंधन दल की बैठक हुई लेकिन देवास ने समझौते के अनुच्छेद 20 (ए) के अनुसार मुद्दों पर चर्चा न कर इस बात पर जोर दिया कि पक्षों को मध्यस्थता के लिए आगे बढना चाहिये। इस बात के होते हुए भी कि देवास ने पहले ही मध्यस्थता के लिए आई.सी.सी. के नियमों के तहत मध्यस्थ को नामित कर दिया है याचिका कर्ता ने श्रीमती न्यायमूर्ति सुजाना वी. मनोहर को उसका मध्यस्थ नियुक्त किया है। देवास से 30 दिन के भीतर अपना मध्यस्थ को नामित करने के लिए कहा यद्यपि देवास ने 29 जून 2011 को आई.सी.सी. से अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया था, याचिका कर्ता ने कहा है देवास ने एक तरफा रूप से आई.सी.सी. नियमों को लागू किया था।

08. 5 अगस्त 2011 को याचिका कर्ता ने आई.सी.सी. न्यायालय के सचिवालय को लिखा कि उसने अपना मध्यस्थ नियुक्त कर दिया है और करार के अनुच्छेद 20 के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही भारतीय कानून अर्थात् मध्यस्थता व सुलह अधिनियम 1996 से शामिल होगी।

09. प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के 30 जुलाई 2011 के पत्र का जवाब नहीं दिया हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय दांडिक मंडल में 3 अगस्त 2011 के अपने पत्र ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि हम अपने दिनांक 18 जुलाई 2011 के पत्र का संदर्भ लेते हुए पक्षों को याद दिलाते हैं कि मध्यस्थता

खंड के संबंध में उठाये गये सभी मुद्दे जल्द ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। यह न्यायालय को निर्णय लेना है कि मध्यस्थता नियमों के अनुच्छेद 6 (2) के अनुसार आगे बढेगी, क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई भी निर्णय स्वय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिया जायेगा।

10. यह ऐसी परिस्थितियोंः हैं जिसमें याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता याचिका संख्या 20/2011 प्रस्तुत की और अन्य बातों के साथ प्रत्यर्थी को इस बात का निर्देश देने का कहा गया है कि 28 तारीख के समझौते के अनुसार UNCITRAL नियम के तहत पक्षों के बीच विवाद के अधिनिर्णय के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करने के लिए अपने मध्यस्थ को नामित करे।

11. यह आवेदन हम में से एक सुरेन्द्र सिंह निज्जर के समक्ष सूचीबद्ध किया गया जिनका विचार था कि याचिकायें उठाये प्रश्न के सुनवाई वृहद् पीठ को निर्दिष्ट किया जाये। पक्षकारों को अनुरोध किया गया कि वे कानून के प्रश्नों को प्रस्तावित करे और वृहद् पीठ को विनिर्दिष्ट प्रश्न निम्न अनुसार है- वे इस प्रकार है-

(i) जहां मध्यस्था खंड में आई.सी.सी. नियमों व यू.एन. की आई.टी.आर.एल. नियमों का समावेश हो कोई पक्षकार एक तरफा रूप से ट्रिब्यूनल के गठन के आई.सी.सी. नियमों को लागू करने के लिए आगे बढ सकता है?

(ii) क्या टी.डी.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम यू.ई. डेथलमेट (2008) 14 एससीसी 271 में दिया गया निर्णय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यक मध्यस्थता के संदर्भ में सही कानून बताता है?

(iii) क्या धारा 11 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मध्यस्थता समझौते के तहत कार्य करने वाली संस्था द्वारा गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अमान्य तक विस्तारित है, जहां न्यायाधिकरण का गठन कथित तौर पर मध्यस्थता समझौते के तहत कार्य करने वाली संस्था द्वारा किया गया था।

(iv) क्या मध्यस्थता समझौते के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उत्पन्न कार्यवाही केवल न्यायाधिकरण में ही कार्यवाही की जा सकती है और धारा 11 के तहत क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष कभी नहीं की जा सकती है?

(v) क्या, एक बार एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 11 के तहत हस्तक्षेप करने और अन्य अधिकरण के गठन का अधिकार क्षेत्र है?

(vi) क्या दो भारतीय कंपनियों के बीच मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (क) के अर्थ के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यक मध्यस्थता हो

सकती है यदि उक्त कंपनियों में से किसी एक का प्रबंधन और नियंत्रण भारत के अलावा किसी अन्य देश से किया जा रहा है?

(vii) क्या धारा 11 के क्षेत्राधिकार के प्रयोग की शर्तों की पूर्ति हो गई है और याचिकाकर्ता द्वारा चाहे अनुतोष के आलोक में याचिका विचारण योग्य है?

12. याचिका के लंबित रहने के दौरान उठाए गये सात प्रश्नों में से अधिकांश का समाधान हो गया था और महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि अधिनियम की धारा 11 को लागू किया जा सकता है जब आई.सी.सी. नियमों को एक पक्षकार पहले से प्रभावशील कर चुका है?

13. याचिकाकर्ता की ओर से सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ओ.एन.जी.सी. लि. व अन्य {(1998) 1 एस.सी.सी. 305} पर भरोसा किया गया, जिसमें मध्यस्था के संबंध में विभिन्न कानूनों की व्याख्या की गई थी यथा-

(क) अनुबंध को नियंत्रित करने का उचित कानून वह कानून है जिसमें अनुबंध के संबंध में पक्षकारों को अधिकार व दायित्वों का निर्माण हुआ है।

(ख) मध्यस्थता समझौते का उचित कानून मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न होने वाले पक्षों के अधिकारों व दायित्वों का निर्माण को निर्माण करने वाला कानून है।

(ग) अनुबंध को विहित विधि किसी मामले के मध्यस्थता के संदर्भ को नियंत्रित करेगी ।

(घ) क्यूरिल कानून मध्यस्था की कार्यवाही और संदर्भ को संचालित करने के तरीके को नियंत्रित करने वाला कानून है। यह मध्यस्थों की प्रक्रियात्मक शक्तियों और कर्तव्यों, साक्ष्य के प्रश्नों और अनुबंध के उचित कानून के निर्धारण को नियंत्रित करता है।

14. यह प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में अनुबंध का उचित कानून भारतीय कानून है और मध्यस्था समझौते का उचित कानून मध्यस्था और सुलह अधिनियम 1996 है तद्नुसार मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन अधिनियम की धारा 10 से 15 के प्रावधानों से शासित होंगे। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि पक्षकार इस बात पर सहमत थे कि मध्यस्थता की कार्यवाही आई.सी.सी. या यू.एन.सी.आई.टी.एल. के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार आयोजित की जा सकती है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विकल्प अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत पार्टियों के निर्धारण पर छोड़ दिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रक्रियात्मक कानून का

चयन केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद ही किया जा सकता है न कि उससे पहले किसी भी चरण में।

15. यह भी प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 2 (2) और पार्टियों के बीच अनुबंध के अनुच्छेद 19 स्पष्ट प्रावधान है कि मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा और भारतीय कानून से शासित होगा तद्नुसार जैसा कि नेशनल थर्मल पावर कोर्पोरशन बनाम सिंगर कंपनी (1992) 3 एससीसी 551 में धारित किया गया है, अनुबंध का उचित कानून भारतीय कानून होगा, जो मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करेगा।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि 'कानूनों के संघर्ष में डायसी के सुझाये कार्डियन परीक्षण की कसौटी यह है कि मध्यस्थता का शासी कानून पक्षकारों द्वारा चुना गया कानून होगा या किसी समझौते के अभाव में उस देश का कानून होगा जिनके मध्यस्थता आयोजित की जाती है।

16. प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आवेदन पर विचार किया जा सकता है, जब आई.सी.सी. नियमों को एक पक्ष द्वारा क्रियाशील किया जाकर अपना मध्यस्थ भी नामित कर नियुक्त कर दिया है, यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्या धारा 11 मुख्य न्यायाधीश को आई.सी.सी. नियमों के तहत पहले से ही गठन के चरण में ट्रिब्यूनल के अधिक्रमण में एक ट्रिब्यूनल गठित करने का अधिकार देती है जबकि एक पक्ष के मामले में एक तरफा कार्यवाही की थी? याचिकाकर्ता के विद्वान

अधिवक्ता ने इस संबंध में एस.वी.पी. एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम अन्य (2005) 8 एससीसी 618 को उद्धृत किया।

17. विद्वान अधिवक्ता का आगे आग्रह है कि मुख्य न्यायाधीश के पास अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण वैध रूप से गठित हुआ है या नहीं, एक पक्ष द्वारा गठित न्यायाधिकरण पुरी तरह से पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौते का उल्लंघन कर रहा है। जब तक न्यायालय द्वारा धारा 11 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है, तब तक इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ट्रिब्यूनल गठित करने का सवाल नहीं उठता है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वास्तव में यह धारा 11 के तहत मुख्य न्यायाधीश के अधिकार का अधिक्रमण है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रारंभ में यह जांच की जानी चाहिये कि क्या न्यायालय को क्षेत्राधिकार है और क्या मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए उपाया आवश्यक है यदि इन दोनों प्रश्नों पर उत्तर सकारात्मक है तो न्यायालय मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए बाध्य है।

18. इसके विपरीत देवास (प्रत्यर्थी) की ओर से प्रस्तुत किया गया कि मध्यस्था न्यायाधिकरण के गठन के बाद ही यह चुनाव हो सकेगा कि मध्यस्थता किस संस्था के तत्वाधान में होनी है यह तर्क दिया गया

मध्यस्थता समझौते का उद्देश्य एक तदर्थ न्यायाधिकरण का गठन करना था जिसे निर्धारित दो प्रक्रियाओं में से एक का पालन करना होगा।

19. यह प्रस्तुत किया गया कि देवास ने मध्यस्थता समझौते को लागू करने के लिए आई.सी.सी. मध्यस्थता नियमों के अनुसार अपने मध्यस्थ को नामित करते हुए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन की मांग थी और चूंकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का गठन आई.सी.सी. नियमों के तहत किया गया था, इसलिए ट्रिब्यूनल का गठन ठीक से किया गया था या नहीं, इस पर कोई आपत्ति आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष उठानी होगी, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को यह निर्णय लेना होगा कि क्या नियमों को लागू करने से पहले एक न्यायाधिकरण का गठन आवश्यक है, क्योंकि समझौते के अनुसार मध्यस्थता में दावेदार को अधिकार है कि मध्यस्थता शुरू करते समय दो नियमों में से एक चुने।

20. अधिनियम 1996 की धारा 16 पर भरोसा रखा गया जो अपने दायरे में कोम्पेतेंज कोम्पेतेंज सिद्धांत को शामिल करता है चूंकि मध्यस्थता अधिनियम 1996 के भाग-1 द्वारा शासित होती है वहां ट्रिब्यूनल को अपने गठन की वैधता सहित सभी मुद्दों पर पूर्ण अधिकार होगा।

21. विनिर्णय गैस ओथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम केटी कंस्ट्रक्शन (आई) लिमिटेड व अन्य (2007) 5 एस.सी.सी. 38 का उद्धरण किया है, जिसमें उपरोक्त सिद्धांत का हवाला दिया था, जिसमें इस

न्यायालय ने एस.वी.पी. एंड कंपनी (सुप्रा) में अपने निर्णय पर पूरी तरह से विचार किया था। आगे कथन किया गया कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन की वैधता से संबंधित प्रश्न का निर्णय समझौते के अनुच्छेद 20 के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ना होगा।

22. इस सवाल पर कि क्या मुख्य न्यायाधीश या उसके नामित को, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की वैधता के प्रश्न पर अधिनियम की धारा 11 तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार है, यह आग्रह किया गया कि विनिर्णय एस.वी.पी. एंड कंपनी (सुप्रा) में इस बिंदु पर विचार नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी बनाम केरल सरकार व अन्य (1989) 2 एस.सी.सी. 38 को उद्दरत किया जिसमें यह अभिमत दिया गया है कि एक बार अनुबंध के बारे में कोई विवाद नहीं है, तो उसकी व्याख्या मध्यस्थ के लिए है, न कि न्यायालयों के लिए और न्यायालय मध्यस्थ के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, अधिनियम की धारा 5 में इस अर्थान्वयन का समर्थन करती है क्योंकि यह अधिनियम में दिए गये प्रावधानों को छोड़ कर किसी भी हस्तक्षेप पर रोक लगाती है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि विनिर्णय मैकडमाॅट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टेंडर्ड कंपनी लि. और अन्य (2006) 11 एस.सी.सी. 181 धारित किया गया कि अधिनियम 1996 के लागू होने के, मध्यस्थ के

अधिकार के सवाल को मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने के बाद जल्द से जल्द उठाना चाहिये और ऐसे प्रश्न पर धारा 16 के तहत निर्णय के बाद उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है।

23. देवास की ओर से यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता का दावा है कि ट्रिब्ल्यूनल का गठन होने के बाद आई.सी.सी. या UNCITRAL नियमों में से किसी एक को लागू करना होगा, इस पर निर्णय अधिनियम की धारा 11 के तहत आरक्षित है तब यह मुद्दा न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। प्रतिवादी के अधिवक्ता का तर्क है कि अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत शक्तियों के प्रयोग में मध्यस्थ न्यायाधिकरण और नियुक्ति की वैधता के सवाल पर मुख्य न्यायाधीश अपनी शक्ति का प्रयोग करने के हकदार नहीं है और याचिका खारिज होने योग्य थी।

24. जैसा पहले उल्लेखित किया गया है, हमें इस बिंदु पर निर्णय लेना है कि क्या जब किसी एक पक्ष ने इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकार क्षेत्र का प्रभावशील किया है और उसके द्वारा एक मध्यस्थ पहले नियुक्त किया जा चुका है, तो विवाद का दूसरा पक्षकार अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के अनुसार आगे बढ़ने का हकदार है।

25. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें 28 जनवरी 2005 को याचिका कर्ता व प्रतिवादी के बीच समझौते में मध्यस्थता से संबंधित प्रावधानों को उल्लेखित करना होगा। अनुच्छेद 19 स्पष्ट शब्दों में प्रावधान

करता है कि पक्षकारों के बीच करार के तहत अधिकार और जिम्मेवारियों का गठन भारत के कानून के अधीन होंगे, जिसका वास्तव में मतलब मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 है। करार या अनुच्छेद 20 विशेष रूप से मध्यस्थता से संबंधित है, यह प्रावधान करता है कि पक्षकारों के बीच करार के प्रावधानों या उसकी व्याख्या के संबंध में विवाद समाधान के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रबंधन को तीन सप्ताह में समाधान करने के लिए भेजा जाएगा और तीन सप्ताह में ऐसा नहीं होने पर विवाद को तीन मध्यस्थों वाले एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया कि मध्यस्थता की सीट भारत में नई दिल्ली होगी और मध्यस्थता इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स या UNCITRAL के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार आयोजित होगी।

26. प्रतिवादी ने करार के अनुच्छेद 20 के प्रावधानों को लागू करते हुए और मध्यस्थता के नियमों के अनुसार है और एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आई.सी.सी. से संपर्क किया है और उसके अनुसार अपना मध्यस्थ नामांकित कर नियुक्त किया है वास्तव में प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता खंड को लागू करने के बाद याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के मध्यस्थता के अनुरोध का पता चला जिसे आई.सी.सी. ने 5 जुलाई 2011 को याचिकाकर्ता को भेजा था और याचिकाकर्ता को भी आई.सी.सी. द्वारा अपने नामित मध्यस्थ को नामित करने के लिए आमंत्रित किया गया था,

लेकिन याचिकाकर्ता ने अपने मध्यस्थ को नामित करने के बजाय एक बार फिर देवास को करार के संदर्भ में वरिष्ठ प्रबंधन की बैठक बुलाने का अनुरोध किया इसके साथ ही इस न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश श्रीमती सुजातवी मनोहर को अपना मध्यस्थ नियुक्ता किया तद्नुसार आई.सी.सी. न्यायालय को सूचित किया। याचिकाकर्ता ने आई.सी.सी. के समक्ष भी यह विवाद उठाया कि करार में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि मध्यस्थता कार्यवाही भारतीय कानून से शासित होगी जो UNCITRAL मॉडल पर आधारित है, प्रतिवादी को एक तरफा रूप से यह निर्णय लेने का अधिकार उपलब्ध नहीं है कि कौनसे नियमों का पालन करना है, इसके बाद याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 11 (4) के प्रावधानों का सहारा लिया, जिसमें उन सवालों को जन्म दिया गया है जो यहां पहले पेराग्राफ 11 में निर्धारित किये गये हैं जिनमें से एक ही विचार के लिए बचा है।

27. अधिनियम की धारा 27 में वह परिस्थितियों बहुत स्पष्ट हैं जिनमें मध्यस्थता समझौते द्वारा शास्ति पक्षकार मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। धारा 27 के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है-

11. मध्यस्थों की नियुक्ति-

(1) किसी भी राष्ट्रिकता को कोई व्यक्ति, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो, मध्यस्थ हो सकता है।

(2) उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थों को नियुक्त करने के लिए किसी प्रक्रिया पर करार करने के लिए स्वतंत्र है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी करार के न होने पर, तीन मध्यस्थो वाले किसी मध्यस्थ से, प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दो नियुक्त मध्यस्थ ऐसे तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे, जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।

(4) यदि उपधारा (3) की नियुक्ति की प्रक्रिया लागू होती है और -

(क) कोई पक्षकार किसी मध्यस्थ को नियुक्त करने में, दूसरे पक्षकार से ऐसा करने के किसी अनुरोध की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर, असफल रहता है, या

(ख) दो नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में असफल रहते हैं, तो नियुक्ति, किसी पक्षकार के अनुरोध पर, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी।

(5) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी करार के न होने पर, एकमात्र मध्यस्थ वाले किसी मध्यस्थ में, यदि पक्षकार किसी मध्यस्थ पर, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से किए गए किसी अनुरोध की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर इस प्रकार सहमत होने में असफल रहते हैं, तो नियुक्ति, किसी

पक्षकार के अनुरोध पर मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगीं।

(6) जहां पक्षकारों द्वारा करार पाई गई किसी नियुक्ति की प्रक्रिया के अधीन-

(क) कोई पक्षकार उस प्रक्रिया के अधीन अपेक्षित रूप में कार्य करने में असफल रहता है, या

(ख) पक्षकार अथवा दो नियुक्त मध्यस्थ, उस प्रक्रिया के अधीन उनसे अपेक्षित किसी करार पर पहुंचने में असफल रहते हैं, या

(ग) कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कोई संस्था है, उस प्रक्रिया के अधीन उसे सौंपे गए किसी कृत्य का निष्पादन करने में असफल रहता है,वहां कोई पक्षकार, मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित किसी यक्ति या संस्था से, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया के किसी करार में नियुक्ति सुनिश्चित कराने के अन्य साधनों के लिए उपबंध न किया गया हो, आवश्यक उपाय करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

(7) उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसार मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था को सौंपे गए किसी विषय पर कोई विनिश्चय अंतिम होगा।

(8) किसी मध्यस्थ की नियुक्ति करने में मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था, निम्नलिखित का सम्यक् रूप से ध्यान रखेगी-

(क) पक्षकारों के करार द्वारा अपेक्षित मध्यस्थ की कोई अर्हता, और

(ख) अन्य बातें, जिनमें किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने की संभावना है।

(9) किसी अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में एकमात्र या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति की दशा में, जहां पक्षकार विभिन्न राष्ट्रीयताओं के हैं वहां भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था, पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न किसी राष्ट्रीयता वाला कोई मध्यस्थ नियुक्त कर सकेगी।

(10) मुख्य न्यायमूर्ति, कोई ऐसी स्कीम बना सकेगा जो वह उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) द्वारा उसे सौंपे गए विषयों के निपटारे के लिए समुचित समझे।

(11) जहां विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों या उनके पदाभिहितों से उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन एक से अधिक बार अनुरोध किया गया है, वहां केवल वही मुख्य न्यायमूर्ति या

उसका पदाभिहित ही, जिससे सुसंगत उपधारा के अधीन प्रथम बार अनुरोध किया गया, ऐसे अनुरोध की बाबत विनिश्चय करने के लिए सक्षम होगा।

(12) (क) जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (10) में निर्दिष्ट विषय किसी अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में उद्भूत होते हैं वहां उन उपधाराओं में ''मुख्य न्यायमूर्ति के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ''भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के प्रति निर्देश है।

(ख) जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (10) में निर्दिष्ट विषय किसी अन्य माध्यस्थम् में उद्भूत होते हैं वहां उन उपधाराओं में ''मुख्य न्यायमूर्ति के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगया जाएगा कि वह ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के प्रति निर्देश है जिसकी स्थानीय परिसीमाओं के भीतर धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) में निर्दिष्ट प्रधान सिविल न्यायालय स्थित है और, जहां स्वयं उच्च न्यायालय ही उस खंड में निर्दिष्ट न्यायालय है, वहां उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के प्रति निर्देश है।

28. जैसा कि उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है जब मध्यस्था समझौते के पक्षकारों में से कोई पक्ष उसकी शर्तों के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है तो दूसरे पक्ष के आवेदन पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

और सर्वोच्च न्यायालय अलग-अलग स्थितियों में एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।

29. वर्तमान मामले में, देवास ने मध्यस्थता समझौते के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में लिखे गये याचिकाकर्ता के पत्र का जवाब दिए बिना एकतरफा रूप से करार के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों को समाधान के लिए आई.सी.सी. को मध्यस्थता के लिए अनुरोध संबोधित किया और अपना नामांकित मध्यस्थ नियुक्त किया दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने अपने नामांकित मध्यस्थ को चेतावनी के साथ नियुक्त किया कि उक्त प्रावधानों के तहत अपने मध्यस्थ को नियुक्त करने के लिए कहा चूंकि देवास ने याचिकाकर्ता के 30 जुलाई 2011 के पत्र का जवाब नहीं दिया, इसलिए याचिकाकर्ता ने धारा 11(6) अधिनियम 1996 के तहत आवेदन दायर किया।

30. मौजूदा मामले में मध्यस्थता समझौते में यह प्रावधान है कि मध्यस्थ की कार्यवाही इंटरनेशल चेंबर ऑफ कॉमर्स या UNCITRAL के नियमों व प्रक्रिया के अनुसार आयोजित होगी। सही या गलत, देवास ने उक्त करार के अनुसार ही 29 जून 2011 को आई.सी.सी. में मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया और श्री वी.वी. वीडर को मध्यस्थ के रूप में नामित किया। 5 जुलाई 2011 को आई.सी.सी. द्वारा लिखे पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता को अपना मध्यस्थ नामांकित कर नियुक्त करने की

आवश्यकता थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फेसला किया और अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन किया और साथ ही संकेत दिया कि करार के अनुच्छेद 20 (9) के संदर्भ में न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर को अपना मध्यस्थ नियुक्त किया था।

31. यह मामला उतना जटिल नहीं है जितना लगता है और हमारे विचार में जब देवास द्वारा मध्यस्था समझौते को प्रक्रियाशील करते हुए मध्यस्थ नामित कर नियुक्त कर दिया गया था तो मध्यस्थता खंड को दूसरी बार लागू नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ता को प्रतिवादी द्वारा की गई मध्यस्थता नियुक्ति की जानकारी हो जाने के बाद मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया जाना एक विसंगतिपूर्ण स्थिति को जन्म देगा। हमारे विचार में याचिकाकर्ता निश्चित रूप से देवास (प्रत्यर्थी) द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने का हकदार था, वह अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ नियुक्ति की शक्ति मुख्य न्यायाधीश में निहित है, ऐसी नियुक्ति पर धारा 13 के तहत सवाल उठाया जा सकता है किंतु धारा 11 की कार्यवाही में मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थता करार के अभ्यास में पहले से नियुक्त एक मध्यस्थ को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। मेसेलशाफ्ट फर बायो टेक्नोलोजी फार्सुन जी.वी.एस. बनाम कोप्रान लेबोरेटरीज लिमिटेड व अन्य (2004) 13 एससीसी 630 में बाॅम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 8 के तहत

निर्देशित एक अपील की सुनवाई करते हुए अभिमत दिया था कि जहां मध्यस्थ की नियुक्ति पद्धति से विचलन में नियुक्ति की जाती है वहां ऐसी विचलन का मुख्य न्यायाधीश को ऐसे विचलन का कारण बताना अनिवार्य है।

32. अधिनियम 1995 की धारा 11 की उपधारा 6 बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां पक्षकार उनके द्वारा सहमत प्रक्रिया के संदर्भ में कार्य करने में विफल रहती है, उपधारा (6) के प्रावधानों को किसी पक्षकार द्वारा लागू करवाया जा सकता है। पक्षकार जहां करार के संदर्भ में एक पक्षकार द्वारा आई.सी.सी. नियमों के तहत मध्यस्थता खंड को पहले से ही क्रियाशील किया जा चुका हो वहां उपधारा (6) के प्रावधानों को फिर से लागू नहीं किया जा सकता है और यदि दूसरा पक्ष असंतुष्ट है या पीड़ित है तो समझौते के संदर्भ में उसका समाधान धारा 13 के तहत एक याचिका के माध्यम से होगा और उसके बाद अधिनियम की धारा 34 के तहत होगा।

33. कानून इस बिंदु पर सुस्थिर है कि जहां एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा चुका है और उसकी सूचना दूसरे पक्ष को दे दी गई है, वहां मध्यस्थ की नियुक्ति के एि अलग आवेदन विचारणीय नहीं है, एक बार मध्यस्थता खंड के तहत शक्ति के प्रयोग के बाद अधिनियम की धारा 11 के तहत दुबारा एक बार फिर मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की कोई शक्ति नहीं बचती है जब तक कि कार्यवाही को बंद करने के बाद उसे रद्द करने

का आदेश नहीं किया गया हो। सोमदत्त बिल्डर्स प्रा.लि. बनाम पंजाब राज्य 2006 (3) आर.ए.जे. (पी एंड एच) में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेन ने अभिनिर्धारित किया है कि जब मध्यस्थता न्यायाधिकरण पहले से ही पक्षकारों के बीच विवाद को ग्रहण कर चुका है, मध्यस्थता खंड के तहत उन्हीं मुद्दों पर एक और न्यायाधिकरण का गठन क्षेत्राधिकार विहित होगा।

34. हमारे मत में मध्यस्था करार के अनुच्छेद 20 की भाषा के अनुसार, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि मध्यस्थता की कार्यवाही इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स या UNCITRAL के नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार होगी, देवास मध्यस्थता नियमों को लागू करने का हकदार था। मध्यस्थता कार्यवाही के अनुच्छेद 19 में यह प्रावधान कि पार्टियों के अधिकार व जिम्मेवारियां भारत के कानून के अधीन होगी व समझी जाएगी तब निसंदेह आई.सी.सी. नियमों को लागू करना उचित कानून के अंतर्गत चुनौती योग्य है, अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन के माध्यम से इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जहां पार्टियोंं इस बात पर सहमत हुई थी कि मध्यस्थता की प्रक्रिया आई.सी.सी. नियमों द्वारा शासित होगी, उसमें उक्त नियमों के संदर्भ में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति शामिल होगी इसलिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा 11 (6) के तहत याचिका विफल होगी और खारिज

कर दी जाती है लेकिन यह याचिकाकर्ता को अधिनियम के अन्य प्रावधानों में उचित राहत लेने से नहीं रोकेगा।

35. इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

36. मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पक्ष लागत (खर्च) स्वयं वहन करेगा।

(अल्तमास कबीर) सी.जे.आई.

(सुरिंदर सिंह निज्जर) जे.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चक्रवर्ती महेचा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।